दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 13-05-2026

प्रोबेशन पीरियड में असंतोषजनक काम पर बर्खास्तगी सही, जांच जरूरी नहीं: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने सीयू के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर की बर्खास्तगी को बताया सही

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो उसे बिना विभागीय जांच के निकाला जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निवासी डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला को वर्ष 2012 में सीयू के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति दो साल के प्रोबेशन पर हुई थी, जिसे बाद में एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बीच अगस्त 2013 में यूनिवर्सिटी ने उनकी सेवाओं को असंतोषजनक बताते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। डॉ. शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आधार कदाचार था, इसलिए बिना विभागीय जांच के उन्हें हटाना गलत है। प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि उनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए हटाया गया। नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार प्रोबेशन के दौरान काम संतोषजनक न होने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के काम में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रोबेशनर का काम परखने के लिए होता है। अगर वह अनफिट पाया जाता है, तो उसे हटाना दंडात्मक नहीं माना जाएगा। बर्खास्तगी के आदेश में कहीं भी डॉ. शुक्ला के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगाया गया था, केवल असंतोषजनक सेवा का हवाला दिया गया है। प्रोबेशन के दौरान किसी भी समय कर्मचारी के काम का आकलन कर उसे सेवामुक्त किया जा सकता है।